न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 74/2017

बउनवान

प्रभूलाल माली पुत्र रतनलाल उम्र 74 वर्ष जाति–माली निवासी–आकेडा तहसील–बारां, जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री हरीओम चतुर्वेदी, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक 07.06.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–आकेंडा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म चारागाह पर बगीचा व फसल काश्त करने का अतिक्रमी मानकर 264/–रूपये अर्थदण्ड एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्याालय ने अपीलांट को बिना जवाबदेहीं का अवसर दिये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये एकतरफा आदेश पारित किया है। वाके माल आंकेडा तह. बारां से खसरा नम्बर 160, 163 , 167 कुल रकबा 1.10 हैक्टश्र आराजी खातेदारी की है जिसे अपीलांट ने जर्ये रजिस्टड विक्रय पत्र दिनांक 28.5.1996 को जगदीश पुत्र हरदेव नदंवाना नि. आकेंडा से क्रय की व दखल में ली थी तभी से उक्त आराजी की सीमा पर अमरूद एवं नीबू, आम व आंवला के पेड है, वर्षो पुराना कुँआ भी है। उक्त आराजी पर अपीलांट द्वारा पेड नहीं लगाये है। वह अपने खाते की आराजी पर ही काबिज काश्त है, उक्त पेडो को हटाये जाने पर अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.2.2014 निरस्त फरमायी जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी से लगवां अपीलांट की रजिस्टर्ड खरीदशुदा भूमि है। अपीलांट अपनी खरीदशुदा आराजी पर हीं काबिज काश्त है किन्तु उक्त आराजी की मेड पर पेड लगे हुये है जो उसके द्वारा नहीं लगाये गये है यह क्रयशुदा भूमि के पूर्व से है। यदि उक्त आराजी से पेड पोघे काट या हटा लिये जाते है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। वह तो सिर्फ अपने खातेदारी की हीं भूमि पर काबिज काश्त है। हल्का पटवारी ने बिना मौका देखे तहसील में मिथ्या रिपोर्ट पेश की है, इसी रिपोर्ट के आधार पर पश्चात्वर्ती मानकर सजायाब किया है। जबकि अपीलांट पश्चात्वर्ती नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय आदेश पारित करनें में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने विवादित आराजी पर बगीचा लगाकर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण कर रखा है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 768/13 निर्णय दिनांक 13.3.2013 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विदित हुआ है कि अपीलांट ने विवादित आराजी ख0नं0 148 रकबा 0.48 है0 ग्राम आकेडा पर पेड लगाकर बगीचा तैयार कर, अतिक्रमण कर रखा है जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट, बयान व पूर्व बेदखली मिसल से प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को वर्णित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप ही बेदखली व सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय/आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 27/2014 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official